

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24-सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 713(अ).— केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 38क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत और संकर्म लेखापाल (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2012 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत और संकर्म लेखापाल (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (च) में "और संकर्म" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) में "और संकर्म" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के प्ररूप 1 में, क्रम संख्यांक 1 के सामने की विधि में "और संकर्म" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 12/11/2011-पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 112(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2012

G.S.R. 713 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 38A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) (Amendment) Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigation of Professionals and other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 2, in clause (f), the words "and Works" shall be omitted.

3. In Rule 4 of the said rules, in sub-rule (2), the words "and Works" shall be omitted.

4. In FORM I of the said rules, in the entry against serial number 1, the words "and Works" shall be omitted.

[F.No. 12/11/2011-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 112(E), dated the 27th February, 2007.